रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2011/फाल्गुन 6, 1932
No. 371] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2011/PHALGUNA 6, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2011

आय-कर

का.आ. 435(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घघख के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (घ) के स्पष्टीकरण में खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को, उक्त खंड के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अधिसूचित करती है।

2. भारतीय यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ऐसी प्रणाली में जिसमें कक्षीकार कोड को उपांतरित किए जाने के लिए अनुज्ञात किया है, रजिस्ट्रीकृत सभी संव्यवहारों की बाबत, पृथक रूप से आंकड़े रखेगा और आय-कर महानिदेशक (आसूचना), नई दिल्ली को ऐसे प्रत्येक मास के जिससे विवरण संबंधित है, अंतिम दिन से पन्द्रह दिन के भीतर साफ्ट कापी में, ऐसे उपांतरित संव्यवहारों के ब्यौरे सहित मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

3. केन्द्रीय सरकार, यदि आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घघक में विनिर्दिष्ट किसी शर्त का, अतिक्रमण किया जाता है तो भारतीय यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज को दी गई मान्यता वापस ले सकेगी।

4. यह अधिसूचना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन को वापस लेने तक या उसकी समाप्ति तक या आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घघख के उप-नियम (5) में यथाउपबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा विखंडित किए जाने तक, प्रवृत्त रहेगी।

[अधिसूचना सं. 12/2011/फा. सं. 142/20/2010-एसओ(टीपीएल)]

राजेश कुमार भूत, निदेशक (कर नीति और विधान)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2011

INCOME-TAX

S.O. 435(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) in the Explanation to clause (d) of the proviso to clause (5) of section 43 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), read with Rule 6DDB of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the United Stock Exchange of India Limited as a recognized stock exchange for the purpose of the said clause with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. United Stock Exchange of India Limited shall separately maintain data regarding all transactions registered in the system in which client codes have been allowed to be modified and submit a monthly statement containing details of such modified transactions to the Director General of Income-tax (Intelligence), New Delhi, in a soft copy within fifteen days from the last day of each month to which such statement relates.

3. The Central Government may, withdraw the recognition granted to the United Stock Exchange of India Limited if any of the conditions specified in Rule 6DDA of the Income-tax Rules, 1962 is violated.

4. This notification shall remain in force until the approval granted by the Securities and Exchange Board of India is withdrawn or expires, or is rescinded by the Central Government as provided in sub-rule (5) of rule 6DDB of the Income-tax Rules, 1962.

[Notification No. 12/2011/F.No. 142/20/2010-SO(TPL)]

RAJESH KUMAR BHOOT, Director (Tax Policy and Legislation)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.